समाचार

कोरबा नगर निगम की सामान्य सभा ने 27 प्रस्तावों को दी स्वीकृति, 02 को रखा होल्ड पर

(सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर की अध्यक्षता तथा महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में सम्पन्न हुई नगर पालिक निगम कोरबा की साधारण सभा)

कोरबा 23 जनवरी 2026 –नगर पालिक निगम कोरबा की आज सम्पन्न हुई साधारण सभा के द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत किए गए 27 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई, वहीं 02 प्रस्तावों को होल्ड पर रखा गया है, जिन पर इस हेतु गठित समिति के सुझावों के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

नगर पालिक निगम कोरबा के पं.जवाहरलाल नेहरू सभागृह में आज सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर की अध्यक्षता एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में निगम की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर विस्तार से चर्चा किए जाने के पश्चात 27 प्रस्तावों को साधारण सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, वहीं 02 प्रस्तावों को होल्ड पर रखा गया है। निगम की साधारण सभा के द्वारा दादरखुर्द मानिकपुर में सार्वजनिक रथयात्रा आयोजन में सहयोग के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, इसी प्रकार सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना की स्वीकृति पुष्टि, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की स्वीकृति पुष्टि, मुख्यमंत्री पेंशन योजना की स्वीकृति पुष्टि आदि के प्रस्तावों का भी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2029 तक बालविवाह मुक्त राज्य बनाने के संबंध में प्रस्तुत का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया, वहीं सेवाभारती को आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन सदन द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा डॉ.भीमराव अंबेडकर ओपन थियेटर घंटाघर में रामलीला में दशहरा उत्सव मेला के आयोजन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन सदन द्वारा सर्वसम्मति से किया गया, वहीं हेलीपेड पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे स्थित निगम के रिक्त भवन को मॉ सर्वमंगला जनजाति कल्याण केन्द्र संचालन हेतु प्रदाय किए जाने संबंधी प्रस्ताव को होल्ड पर रखा गया है, इस संबंध में विधिक सलाहकार समिति की जांच रिपोर्ट के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। बैठक के दौरान नेत्रदान, देहदान

करने वाले परिजनों को सम्मानित करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन भी साधारण सभा के द्वारा सर्वसम्मति से किया गया, वहीं नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत मेसर्स भारती टेलीकाम लिमिटेड, जीओ प्राइवेट लि., वोडाफोन आइडिया एवं भारत दूर संचार निगम द्वारा बिछाए गए भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर के आरोपण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, वहीं माईक्रोसेल से जुड़े यूटीलिटी बाक्स वाले प्रत्येक आईबीएस या वाईफाई एंटीना या माईक्रोसेल यूनिट जो किसी बस सेल्टर स्ट्रीट लाईट पोल या सार्वजनिक स्थानों में स्थापित किए गए हैं, उन पर 500 रूपये प्रति स्थान वार्षिक शुल्क निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी प्रकार जीएसटीर रिफार्म लागू करने पर केन्द्र सरकार के प्रति नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र की जनता द्वारा आभार व्यक्त करने के संबंध में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न 06 उद्यानों का नामकरण नमो पार्क किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन भी सदन द्वारा किया गया, वहीं मल्टीलेवल पार्किंग के पास जल संसाधन विभाग की भूमि के पास वेंडिंग जोन की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित उद्यानों का पुनर्विकास संचालन एवं संधारण हेतु वार्षिक लाईसेंस शुल्क के आधार पर निविदा आमंत्रण संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं जल आवर्धन योजना फेस–1 का संधारण व संचालन कार्य की निविदा आमंत्रण, जल आवर्धन योजना फेस–1 का संचालन संधारण कार्य हेतु 02 माह की समय वृद्धि, जल आवर्धन योजना फेस–1 का संचालन एवं संधारण कार्य हेतु 01 माह की समय वृद्धि तथा जल आवर्धन योजना फेस–1 के संचालन व संधारण कार्य हेतु प्राप्त निविदा की स्वीकृति आदि संबंधी इन 04 प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी प्रकार बीओटीपीपी माडल अंतर्गत 30 वर्ष की लाईसेंस अवधि के लिए एकीकृत वेंडिंग सुविधा, ईव्ही. स्टेशन एवं विज्ञापन अधिकार के संचालन रखरखाव सहित स्मार्ट शौचालय के निर्माण व स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत लाईसेंस अवधि 20 वर्ष का प्रावधान करते हुए प्रस्ताव को पारित किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत वार्ड क्र. 09 बरबसपुर में नया ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य से जुड़े प्रस्ताव को सदन द्वारा पारित किया गया, इसी प्रकार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत बुधवारी सर्कस मैदान स्थल पर नवीन अत्याधुनिक कामर्शियल काम्पलेक्स निर्माण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित किया गया। नगर निगम क्षेत्र की जोगियाडेरा बस्ती के समीप स्थित माता कौशिल्या की गोद में पधारे भगवान श्रीराम के सुंदर मंदिर क्षेत्र को कौशिल्याधाम नाम से नामकरण संबंधी प्रस्ताव को सदन द्वारा पारित किया गया। इसी प्रकार नगर पालिक निगम कोरबा हेतु 20 एमएलडी टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से सदन द्वारा अनुमोदित किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के जलकर वसूली संबंधी प्रस्ताव को सदन द्वारा होल्ड किया गया है, जिस पर जलकर सलाहकार समिति के जांच उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा हेतु 100 टीपीडी सालिड वेस्ट मेनेजमेंट प्रोजेक्ट की कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव, नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र स्थित विद्युत प्लांटों में विद्युत पर निर्यात कर आरोपण किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी सदन द्वारा पारित किया गया। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत सालिड वेस्ट मेनेजमेंट की विस्तृत परियोजना संबंधी सूचनार्थ प्रस्ताव व वार्ड क्र. 48 दर्री बाजार में शेड एवं कामर्शियल काम्पलेक्स निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव को भी सदन द्वारा पारित किया गया।

<u>महापौर, सभापति व आयुक्त ने किया नवसज्जित भवन का अवलोकन</u>– साधारण सभा की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित निगम के पार्षदगणों, जनप्रतिनिधियों ने निगम के नवसज्जित सभा भवन का सघन रूप से निरीक्षण किया, भवन में बनाए गए मेयर कक्ष, सभापति कक्ष, मेयर इन काउंसिल बैठक कक्ष, पार्षद कक्ष, हाल सहित अन्य विभिन्न कक्षों एवं वहॉ पर बनाई गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने व्यवस्थाओं की सराहना की तथा महापौर श्रीमती राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में मेयर इन काउंसिल की बैठकें भी उक्त भवन में

ही आयोजित की जाएं, वहीं महापौर, सभापति व आयुक्त ने भवन के बाहरी परिसर में किए जा रहे उद्यानिकी, सौंदर्यीकरण व इससे जुड़े अन्य कार्यों में अपेक्षित गति लाते हुए समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों व निर्माण एजेंसी को दिए।